न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 68 / 2020

1 ग्यारसी देवी उम्र 60 वर्ष पुत्री मालाराम पत्नी नारायण जाति माली निवासी राधाकिशनपुरा हाल निवासी मोडी कोठी वार्ड नम्बर 50 राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सीताराम पुत्र मालाराम।
2 शिवभगवान पुत्र मालाराम।
3 रिछपाल पुत्र मालाराम।
4 बलबीर पुत्र मालाराम समस्त जाति माली निवासीगण वार्ड नम्बर 5 जयपुर झुंझुनू बाईपास रोड़ के पास राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर।
5 भगवानी उम्र 71 वर्ष पुत्री मालाराम पत्नी टोलूराम जाति माली निवासी उपराली मालियों की ढ़ाणी हर्ष तहसील व जिला सीकर।
6 गुरूदयाल पुत्र जुवारा।
7 गौरीशंकर पुत्र जुवारा।
8 तुलसीराम पुत्र जुवारा।
9 छोटू पुत्र जुवारा।
10 महावीर पुत्र भोलू।
11 बोदू पुत्र भोलू।
12 लिछमण पुत्र भोलू।
13 कुल्डाराम पुत्र भोलू।
14 रूपाराम पुत्र भोलू समस्त जाति माली निवासीगण राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

15 कमला देवी पुत्री जुवारा पत्नी धूड़ाराम जाति माली निवासी मिश्रावाली ढ़ाणी नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
16 चुका देवी पुत्री जुवारा पत्नी बनवारीलाल जाति माली निवासी महन्तो की कोठी कंवरपुरा रोड़ सीकर जिला सीकर।
17 रामदेवी पुत्री भोलू पत्नी लिछमण जाति माली निवासी ग्राम महादास की कोठी नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
18 श्योपाल देवी पुत्री भोलू पत्नी सीताराम निवासी राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर।
19 तहसीलदार सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व अंतिम डिक्री दिनांक 29.09.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर पीठासीन अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार शर्मा आर.ए.एस. दावा संख्या 346/1992 बउनवानी मालाराम बनाम गुरूदयाल आदि दावा बाबत बंटवारा उदघोषणा स्थायी निषेधाज्ञा

अपील संख्या 69/2020

1 ग्यारसी देवी उम्र 60 वर्ष पुत्री मालाराम पत्नी नारायण जाति माली निवासी राधाकिशनपुरा हाल निवासी मोडी कोठी वार्ड नम्बर 50 राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बनाम

1 सीताराम पुत्र मालाराम।
2 शिवभगवान पुत्र मालाराम।
3 रिछपाल पुत्र मालाराम।
4 बलबीर पुत्र मालाराम समस्त जाति माली निवासीगण वार्ड नम्बर 5 जयपुर झुंझुनू बाईपास रोड़ के पास राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर।
5 भगवानी उम्र 71 वर्ष पुत्री मालाराम पत्नी टोलूराम जाति माली निवासी उपराली मालियों की ढ़ाणी हर्ष तहसील व जिला सीकर।
6 गुरूदयाल पुत्र जुवारा।
7 गौरीशंकर पुत्र जुवारा।
8 तुलसीराम पुत्र जुवारा।
9 छोटू पुत्र जुवारा।
10 महावीर पुत्र भोलू।
11 बोदू पुत्र भोलू।
12 लिछमण पुत्र भोलू।
13 कुल्डाराम पुत्र भोलू।
14 रूपाराम पुत्र भोलू समस्त जाति माली निवासीगण राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर।
15 कमला देवी पुत्री जुवारा पत्नी धूड़ाराम जाति माली निवासी मिश्रावाली ढ़ाणी नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
16 चुका देवी पुत्री जुवारा पत्नी बनवारीलाल जाति माली निवासी महन्तो की कोठी कंवरपुरा रोड़ सीकर जिला सीकर।
17 रामदेवी पुत्री भोलू पत्नी लिछमण जाति माली निवासी ग्राम महादास की कोठी नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

18 श्योपाल देवी पुत्री भोलू पत्नी सीताराम निवासी राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर।
19 तहसीलदार सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व अंतिम डिक्री दिनांक 01.09.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर पीठासीन अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार शर्मा आर.ए.एस. दावा संख्या 346/1992 बउनवानी मालाराम बनाम गुरूदयाल आदि दावा बाबत बंटवारा उदघोषणा स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री देवेन्द्र अग्रवाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री सुरेश कुमार सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 21.09.21

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 346/1992 में पारित निर्णय दिनांक01.09.2008 एवं 29.09.2008 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलीयों पक्षकार एवं आदेश एक समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां पत्रावलियों में पृथक—पृथम रखी जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष दावा संख्या 346/1992 बउनवानी मालाराम बनाम गुरूदयाल आदि बंटवारा, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 01.09.2008 को प्राथमिक डिक्री एवं दिनांक 29.09.2008 को अन्तिम डिक्री पारित की गई। इन दोनों निर्णयों से व्यथित होकर अपीलांट की ओर से दिनांक 18.09.2020 को धारा 5 के आवेदन के साथ दो पृथक–पृथक अपीले प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में रेस्पोडेंट द्वारा धारा 5 के आवेदन का लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में धारा 5 के सन्दर्भ में उभयपक्ष द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। लिखित बहस शामिल पत्रावली की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विचाराधीन वाद अपीलांट के पिता मालाराम ने प्रस्तुत किया था। दौराने विचारण दिनांक 20.04.1997 को अपीलांट के पिता का देहान्त हो गया। विचारण न्यायालय में अपीलांट को कायम मुकाम संयोजित किया गया। विचारण न्यायालय में अपीलांट की ओर से श्री सुरेश सैनी अधिवक्ता की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। इस वकालतनामा पर अपीलांट की अगुठा निशानी फर्जी है। अपीलांट के भाईयों ने अपीलांट को विचाराधीन वाद एवं निर्णय की जानकारी नही होने दी। विभाजन प्रस्ताव भी तहसीलदार द्वारा तैयार नही कर पटवारी द्वारा तैयार किये है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट के भाईयों ने दूरभि संधि की है। वर्ष 2019 में अपीलांट द्वारा अपने भाईयों के पास अपने हिस्से की भूमि हेतु निवेदन किया गया। दिनांक 08.11.2019 तक भाईयों द्वारा सुनवाई नही करने पर विचारण न्यायालय मे वाद संख्या 150/2019 बउनवानी ग्यारसी बनाम सीताराम आदि दिनांक 13.11.2019 को प्रस्तुत किया गया। इस वाद में अपीलांट के भाईयों द्वारा दिनांक 27.02.2020 को आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया। इस पर लॉकडाउन के उपरान्त विचाराधीन निर्णय की जानकारी होने पर जानकारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

से अन्दर मियाद यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी होने पर फर्जी अंगुठा निशानी के सन्दर्भ में दिनांक 09.09.2020 को निजी फर्म से अगुस्ठ जांच करवाई गई एवं भाईयों के विरूद्व एफ.आई.आर. संख्या 421/2020 भी दर्ज करवाई गई जिसमें जांच लम्बित है। रेस्पोडेंट ने जो अगुस्ठ जांच प्रस्तुत की है यह पूर्णतया फर्जी है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डी.एन.जे. 1996 (एस.सी) पेज 281, डी.एन.जे. 2003 (3) राज पेज 1090, आर.एल.डब्ल्यू 2011 (1) आर.जे. पेज 262, आर.एल.डब्ल्यू 2008(2) आर.जे. पेज 1142, आर.आर.टी. 2012 (1) पेज 668, आर.आर.टी. 2013 (1) पेज 473, आर.आर.टी. 2013(2) (एस.सी) पेज 878, आर.आर.टी. 2016 (2) पेज 1378, आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1104, आर.आर.टी. 2020(1) पेज 575 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर गुणावगुण की जांच कर धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किये जाने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि यह कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांकित 29.09.2008 की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 29.09.2008 से ही है, इसके साथ–साथ इस अन्तिम निर्णय व डिक्री के वाद संख्या 346/92 की भी जानकारी अपीलार्थी को उसके कायम मुकाम के रूप में पक्षकार बनने के आवेदन प्रस्तुत करने से रही है। अपीलार्थी ने अपना अधिवक्ता नियुक्त कर वकालतनामा भी दिनांक 26.04. 2004 को प्रस्तुत किया। कायम मुकाम का आवेदन स्वीकार हो जाने पर अपीलार्थी वाद संख्या 346/92 में बतौर वादीया संख्या 1/6 के रूप में पक्षकार संयोजित हुई। अपीलार्थी ने दिनांक 22.09.2020 को यह अपील प्रस्तुत की है। विधिक प्रावधानो के अनुसार 60 दिवस में अर्थात दिनांक 28.11.2008 तक अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी। परन्तु अपीलार्थी ने यह अपील 4373 दिन अर्थात 11 वर्ष 11 माह 23 दिन बाद अत्यधिक विलम्ब से यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी ने इतने वर्षो व दिनो में हुये विलम्ब का ना तो युक्तियुक्त व सद्भाविक कारण बताया है और ना ही विलम्ब के प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण दिया है, जबकि परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विधिक प्रावधानो के अधीन विलम्ब के प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है और साथ ही विलम्ब का कारण युक्तियुक्त एवं सद्भाविक होना भी आवश्यक है। अपीलार्थी को अन्तिम डिक्री दिनांकित 29.09.2008 की जानकारी नही रही हो, यह भी मान्य करने का कोई भी कारण अपीलार्थी ने अपने आवेदन में कही भी अंकित नही किया है, क्योंकि प्राथमिक डिक्री तथा निर्णय व अन्तिम डिक्री के बाद से ही वाद संख्या 346/92 में के पक्षकारो की आपसी सहमति से पारित विभाजन की डिक्री के अनुसार अपने–अपने हक हिस्से में आयी भूमि पर नींव–सींव कायम की गयी और उन पर काबिज होकर काश्त करते रहे और जिस डिक्री के अनुसार सम्पूर्ण राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अमल दरामद भी हुयी। इस विभाजन की डिक्री के बाद भी मौके पर व राजस्व रिकॉर्ड में कई परिवर्तन हुये, जिसका कभी भी अपीलार्थी के द्वारा कोई विरोध नही किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि चुनौतिग्रस्त डिक्री की अपीलर्थी को प्रारम्भ से ही जानकारी रही है। इसके सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त सादर निम्न अवलोकनार्थ प्रस्तुत है:–रूप कंवर बनाम सोहन सिंह आदि 2013 (3)DNJ(Raj.)1322.अपीलार्थी के द्वारा अपील मैमो के पृष्ठ संख्या –4 में और आवेदन अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम के पृष्ठ संख्या–1 में स्वीकृति के रूप में यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी को वाद पत्र की प्रारम्भिक डिक्री की और अन्तिम निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी माह नवम्बर 2019 के प्रथम सप्ताह में हुई। यदि केवल मात्र तर्क के आधार पर यह मान भी लिया जावें कि अपीलार्थी को वाद पत्र की प्राथमिक डिक्री की और अन्तिम निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलार्थी को माह नवम्बर 2019 के प्रथम सप्ताह में हुई हो तो भी अपीलार्थी को 60 दिवस में अर्थात माह जनवरी 2020 के प्रथम सप्ताह तक अपील प्रस्तुत कर दी जानी थी, परन्तु अपीलार्थी ने यह अपील दिनांक 22.09.2020 को प्रस्तुत की है, जो अत्यधिक विलम्ब से हैं और उक्त विलम्ब का भी अपीलार्थी के द्वारा कोई युक्तियुक्त एवं सद्भाविक कारण नही बताया गया है और विलम्ब के प्रत्येक दिन का कोई मान्य स्पष्टीकरण भी नही दिया है। आवेदन की मद संख्या 01 में अपीलार्थी ने वाद पत्र संख्या 150/2019 बउनवानी ग्यारसी देवी बनाम सीताराम आदि में आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी और उक्त आवेदन में अंकित तथ्यों की जानकारी दिनांक 06.08.2020 तक नही होने का कथन किया है। जबकि उपरोक्त वर्णित वाद संख्या 150/2019 में प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

आदेश 07 नियम 11 सीपीसी रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 27.02.2020 को प्रस्तुत किया गया। जिसका जवाब अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.03.2020 को प्रस्तुत कर दिया गया था। उपरोक्त आवेदन एवं जवाब आवेदन की प्रति भी रेस्पोडेन्ट/अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत की गयी है। अधिवक्ता पर मिथ्या आरोप लगाकर या अधिवक्ता की त्रुटि के आधार पर विलम्ब को क्षम्य नही किया जा सकता और अधिवक्ता की त्रुटि व उस पर आरोप लगाकर बताया गया कारण युक्तियुक्त व सद्भाविक नही होता है। इसके सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त विधिक प्रतिनिधि स्व0 ताहल सिंह बनाम विधिक प्रतिनिधि स्व0 जग्गा सिंह आदि 2014 (1) DNJ(Raj.) 405. अपीलार्थी श्रीमती ग्यारसी देवी द्वारा उपरोक्त वकालतनामा पर लगाये गये अंगूठा निशानी (जिसके उपर अणची का नाम अंकित हैं) की जाँच हस्त एवं अगूंस्ठ निशानी विशेषज्ञ अनिल कुमार खुटेटिया से करवाई गई। जिसकी रिपोर्ट क्रमांक 17830 है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी श्रीमती ग्यारसी देवी और वकालतनामा दिनांक 26.04.2004 पर अणची के नाम के नीचे लगाये गये अंगूठा निशानी एक ही व्यक्ति की होना प्रमाणित हो गया। यहां यह भी उल्लेख किया जा रहा है कि जो विशेषज्ञ रिपोर्ट अपीलार्थीया द्वारा पेश की गई है, उस रिपोर्ट के अनुसार जिस अंगूठा निशानी की जाँच करवाई गई। उस अंगूठा निशानी के पेटर्न बिल्कुल भी क्लीयर नही होना अंकित है। पेटर्न क्लीयर नही होने के कारण कोई भी विशेषज्ञ अपनी राय सही–सही देने में असक्षम होता है। वाद पत्र संख्या 346/92 में प्रस्तुत वकालतनामा दिनांकित 26.04.2004 पर अपीलार्थी श्रीमती ग्यारसी देवी के ही अंगूठा निशानी है और इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी श्रीमती ग्यारसी देवी को उपरोक्त वाद पत्र एवं उसके अन्तर्गत पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांकित 29.09.2008 की प्रारम्भ से ही जानकारी रही है। अत्यधिक विलम्ब से होने के कारण और विलम्ब क्षम्य किये जाने योग्य नही होने के कारण धारा 5 का आवेदन स्वीकार योग्य नही है। अपीलार्थीया ने यह आवेदन स्वच्छ हाथो से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया है और मिथ्या व बनावटी तथ्य अंकित कर रेस्पोडेन्टस को समझाईश करने व रेस्पोडेन्टस द्वारा आश्वासन देने जैसे तथ्य मिथ्या रूप से अंकित करते हुये अपील व आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसे खारिज किया जाना उचित एवं आवश्यक है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांकित 29.09.2008 की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 29.09.2008 से ही है, इसके साथ–साथ इस अन्तिम निर्णय व डिक्री के वाद संख्या 346/92 की भी जानकारी अपीलार्थी को उसके कायम मुकाम के रूप में पक्षकार बनने के आवेदन प्रस्तुत करने से रही है। अपीलार्थी ने अपना अधिवक्ता नियुक्त कर वकालतनामा भी दिनांक 26.04.2004 को प्रस्तुत किया। कायम मुकाम का आवेदन स्वीकार हो जाने पर अपीलार्थी वाद संख्या 346/92 में बतौर वादीया संख्या 1/6 के रूप में पक्षकार संयोजित हुई। अपीलार्थी ने दिनांक 22.09.2020 को यह अपील प्रस्तुत की है। विधिक प्रावधानो के अनुसार 60 दिवस में अर्थात दिनांक 28.11.2008 तक अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी। परन्तु अपीलार्थी ने यह अपील 4373 दिन अर्थात 11 वर्ष 11 माह 23 दिन बाद अत्यधिक विलम्ब से यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी ने इतने वर्षो व दिनो में हुये विलम्ब का ना तो युक्तियुक्त व सद्भाविक कारण बताया है और ना ही विलम्ब के प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण दिया है, जबकि परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के विधिक प्रावधानो के अधीन विलम्ब के प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है और साथ ही विलम्ब का कारण युक्तियुक्त एवं सद्भाविक होना भी आवश्यक है। अपीलार्थी को अन्तिम डिक्री दिनांकित 29.09.2009 की जानकारी नही रही हो, यह भी मान्य करने का कोई भी कारण अपीलार्थी ने अपने आवेदन में कही भी अंकित नही किया है, क्योंकि प्राथमिक डिक्री तथा निर्णय व अन्तिम डिक्री के बाद से ही वाद संख्या 346/92 में के पक्षकारो की आपसी सहमति से पारित विभाजन की डिक्री के अनुसार अपने–अपने हक हिस्से में आयी भूमि पर नींव–सींव कायम की गयी और उन पर काबिज होकर काश्त करते रहे और जिस डिक्री के अनुसार सम्पूर्ण राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अमल दरामद भी हुयी। इस विभाजन की डिक्री के बाद भी मौके पर व राजस्व रिकॉर्ड में कई परिवर्तन हुये, जिसका कभी भी अपीलार्थी के द्वारा कोई विरोध नही किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि चुनौतिग्रस्त डिक्री की अपीलर्थी को प्रारम्भ से ही जानकारी रही है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2013 (3)DNJ(Raj.)1322. में माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया गया है कि" (B) Limitation Act, 1963- Sec. 5- Condonation of delay - Delay of 9 years in filing appeal against the consent decree - False statement made that consent decree passed in the year 1997 came into his knowledge only in the year 2006- such litigant should be dealt with iton hands- Delay not condoned specifically-Held, Order of allowing appeal was not justified. अपीलार्थी के द्वारा अपील मैमो के पृष्ठ संख्या –4 में और आवेदन अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम के पृष्ठ संख्या–1 में स्वीकृति के रूप में यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी को वाद पत्र की प्रारम्भिक डिक्री की और अन्तिम निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी माह नवम्बर 2019 के प्रथम सप्ताह में हुई। यदि केवल मात्र तर्क के आधार पर यह मान भी लिया जावें कि अपीलार्थी को वाद पत्र की प्राथमिक डिक्री की और अन्तिम निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलार्थी को माह नवम्बर 2019 के प्रथम सप्ताह में हुई हो तो भी अपीलार्थी को 60 दिवस में अर्थात माह जनवरी 2020 के प्रथम सप्ताह तक अपील प्रस्तुत कर दी जानी थी, परन्तु अपीलार्थी ने यह अपील दिनांक 22.09.2020 को प्रस्तुत की है, जो अत्यधिक विलम्ब से हैं और उक्त विलम्ब का भी अपीलार्थी के द्वारा कोई युक्तियुक्त एवं सद्भाविक कारण नही बताया गया है और विलम्ब के प्रत्येक दिन का कोई मान्य स्पष्टीकरण भी नही दिया है। आवेदन की मद संख्या 01 में अपीलार्थी ने वाद पत्र संख्या 150/2019 बउनवानी ग्यारसी देवी बनाम सीताराम आदि में आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी और उक्त आवेदन में अंकित तथ्यों की जानकारी दिनांक 06.08.2020 तक नही होने का कथन किया है। जबकि उपरोक्त वर्णित वाद संख्या 150/2019 में प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 27.02.2020 को प्रस्तुत किया गया। जिसका जवाब अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.03.2020 को प्रस्तुत कर दिया गया था। उपरोक्त आवेदन एवं जवाब आवेदन की प्रति भी रेस्पोडेन्ट/अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत की गयी है। अधिवक्ता पर मिथ्या आरोप लगाकर या अधिवक्ता की त्रुटि के आधार पर विलम्ब को क्षम्य नही किया जा सकता और अधिवक्ता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

की त्रुटि व उस पर आरोप लगाकर बताया गया कारण युक्तियुक्त व सद्भाविक नही होता है। इसके सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 2014 (1) DNJ(Raj.) 405. में माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया गया है कि"**Limitation Act, 1963-Sec.5- Civil procedure Code, 1908-Sec.96- Delay of about 5 1/4 Years in filing appeal - Suit for specific performance of an agreement was rejected - Statement made by the appellants that the lawyer told that their presence was required till the evidence is recorded appears to be incorded only- None of the PW-1 father of the appellants was recorded only- None of the LR was appeared as a withness - Very convenient to make allegations against a lawyer-No substance in the application for condonation of delay - Held, Application and application for condonation of delay - Held, Application and appeal are dismissed.**

यहां यह भी विचारणीय है कि अपीलार्थी श्रीमती ग्यारसी देवी द्वारा उपरोक्त वकालतनामा पर लगाये गये अंगूठा निशानी (जिसके उपर अणची का नाम अंकित हैं) की जाँच हस्त एवं अगूंस्ठ निशानी विशेषज्ञ अनिल कुमार खुटेटिया से करवाई गई। जिसकी रिपोर्ट क्रमांक 17830 है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी श्रीमती ग्यारसी देवी और वकालतनामा दिनांक 26.04.2004 पर अणची के नाम के नीचे लगाये गये अंगूठा निशानी एक ही व्यक्ति की होना प्रमाणित हो गया। यहां यह भी उल्लेख किया जा रहा है कि जो विशेषज्ञ रिपोर्ट अपीलार्थीया द्वारा पेश की गई है, उस रिपोर्ट के अनुसार जिस अंगूठा निशानी की जाँच करवाई गई। उस अंगूठा निशानी के पेटर्न बिल्कुल भी क्लीयर नही होना अंकित है। पेटर्न क्लीयर नही होने के कारण कोई भी विशेषज्ञ अपनी राय सही–सही देने में असक्षम होता है। वाद पत्र संख्या 346/92 में प्रस्तुत वकालतनामा दिनांकित 26.04.2004 पर अपीलार्थी श्रीमती ग्यारसी देवी की अंगूठा निशानी है और इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी श्रीमती ग्यारसी देवी को उपरोक्त वाद पत्र एवं उसके अन्तर्गत पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांकित 29.09.2008 की प्रारम्भ से ही जानकारी रही है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अत्यधिक विलम्ब से होने के कारण और विलम्ब क्षम्य किये जाने योग्य नही होने के कारण धारा 5 का आवेदन स्वीकार योग्य नही पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की पूर्व से जानकारी थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत किसी प्रकार की सहायता प्रदान नही करते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार योग्य नही पाये जाने से अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर